



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

पीएमएवाई-शहरी 2.0

अंगीकार 2025 के साथ शहरी आवासों की कमी को दूर करना

17 सितंबर, 2025

मुख्य बातें

- पीएमएवाई-शहरी 2.0 की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2025 को पीएमएवाई-यू आवास दिवस के रूप में एक राष्ट्रव्यापी समारोह मनाया जाएगा।
- पीएमएवाई-शहरी 2.0 के अंतर्गत आवेदन सत्यापन और आवास निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए दो महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान **अंगीकार 2025** शुरू किया गया है।
- यह अभियान घर-घर जागरूकता अभियान, आवास शिविरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से 5,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को कवर करेगा।
- पीएमएवाई-शहरी 2.0 के अंतर्गत अतिरिक्त 1.47 लाख पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्वीकृत घरों की कुल संख्या 8.56 लाख हो गई है।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 32,551, अनुसूचित जनजाति के लिए 5,025 और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों के लिए 58,375 आवास शामिल हैं।

अंगीकार 2025: शहरी आवास की अंतिम छोर तक पहुंच में आ रही तेजी



कल्पना कीजिए कि आपको अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित, स्थायी घर बनाने का अवसर मिले, जो किसी सरकारी योजना के जरिए संभव हो। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे?

इस समय, भारत के कस्बों और शहरों में हजारों परिवार इस अवसर का फायदा उठा रहे हैं।

4 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक, सरकार ने अंगीकार 2025 नाम का एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जो "सभी के लिए आवास" के वादे को सीधे लोगों के घर तक पहुंचा रहा है। पीएमएवाई-शहरी 2.0 द्वारा समर्थित, यह सिर्फ एक नीतिगत प्रयास नहीं है। यह एक जन आंदोलन है, जिसमें जागरूकता, जवाबदेही और कार्रवाई का समान रूप से समावेश है।

चाहे वह परिवारों को उनकी आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन देना हो, लंबे समय से प्रतीक्षित घरों के निर्माण में तेजी लाना हो या उन्हें सौर ऊर्जा और ऋण सहायता से जोड़ना हो, अंगीकार का उद्देश्य वंचितों तक पहुंचना और वंचितों को शामिल करना है।

असल में, लाखों शहरी गरीबों के लिए असली सवाल यह नहीं है कि "कितने घर बनाए गए हैं?"

यह "मेरा कब तैयार होगा?" है।

अंगीकार 2025 भारत का अब तक का सबसे सीधा जवाब है।

जब 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की गई थी, तो इसके साथ एक बड़ा वादा था - "सभी के लिए आवास"। पिछले कुछ वर्षों में, इसने शहरों में रहने वाले लाखों कम आय वाले परिवारों को सुरक्षित, स्थायी और किफायती घरों में रहने में सक्षम बनाकर उनके जीवन को बदल दिया है। इसी आधार पर, सितंबर 2024 में पीएमएवाई-शहरी 2.0 शुरू किया गया।

इसका मिशन सरल लेकिन शक्तिशाली है: किसी भी परिवार को पीछे न छोड़ें। हर शहरी परिवार, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, के पास न केवल एक छत होनी चाहिए, बल्कि बुनियादी सेवाओं तक पहुंच वाला एक सुरक्षित घर भी होना चाहिए।



17 सितंबर 2025 को, पीएमएवाई-शहरी 2.0 की एक वर्षगांठ के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाया जाएगा, जिसे सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में पीएमएवाई-यू आवास दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

शहरी आवास संतृप्ति, गति और समावेशन को बढ़ावा देना

मूलतः, अंगीकार 2025 एक मिशन-संचालित अभियान है जिसे भारत के शहरी परिदृश्य में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 योजना की पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

- पीएमएवाई-यू के तहत पहले से स्वीकृत 20 लाख घरों के निर्माण कार्य में तेजी लाना।
- विशेष फोकस समूहों जैसे सफाई कर्मचारी, रेहड़ी-पटरी वाले (पीएम स्वनिधि के तहत), कारीगर (पीएम विश्वकर्मा के तहत), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, और झुग्गी-झोपड़ियों व चालों में रहने वाले निवासियों के संभावित लाभार्थियों को शामिल करना।
- पहले से बने घरों तक पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाना।
- नए बने घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह आयोजित करना ताकि सम्मानजनक तरीके से घर सौंपे जा सकें।
- योजना के सभी पहलुओं पर जानकारी का प्रसार करना और लाभार्थियों को आवेदन और ट्रैकिंग के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से मदद करना।
- गहन क्षेत्र-स्तरीय लामबंदी, दस्तावेज जांच, जियो-टैगिंग और घर-घर जाकर संपर्क के माध्यम से आवेदक की पात्रता का सत्यापन करना।
- योजना के तहत पहले से स्वीकृत 8.5 लाख घरों के लिए गृह ऋण सुविधा का समर्थन करना।
- सितंबर और अक्टूबर 2025 को 'आवास माह' के रूप में मनाना, जो दृश्यता, वितरण और सामुदायिक भागीदारी के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास को चिह्नित करता है।

प्रधानमंत्री आवास मेला - शहरी: पीएमएवाई-यू 2.0 के एक वर्ष का उत्सव

इन लक्ष्यों को साकार करने और सामुदायिक सहभागिता को गहन बनाने के लिए, अंगीकार 2025 अभियान में एक प्रमुख कार्यक्रम शामिल है जो जागरूकता, कार्यान्वयन और समावेशन के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। यह कार्यक्रम सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों से लेकर स्थानीय समुदायों तक, हर स्तर पर हितधारकों को संगठित करता है ताकि आवास वितरण में तेजी लाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को व्यापक सहायता और जानकारी मिले।

अंगीकार 2025 का प्रमुख कार्यक्रम, "प्रधानमंत्री आवास मेला - शहरी", 17 से 27 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जो पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभों को उजागर करने के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य

करेगा, साथ ही जमीनी स्तर पर अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा। यह कार्यक्रम दो चरणों में चलेगा: पहला 17 से 27 सितंबर तक, और दूसरा 15 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी भी दिन।



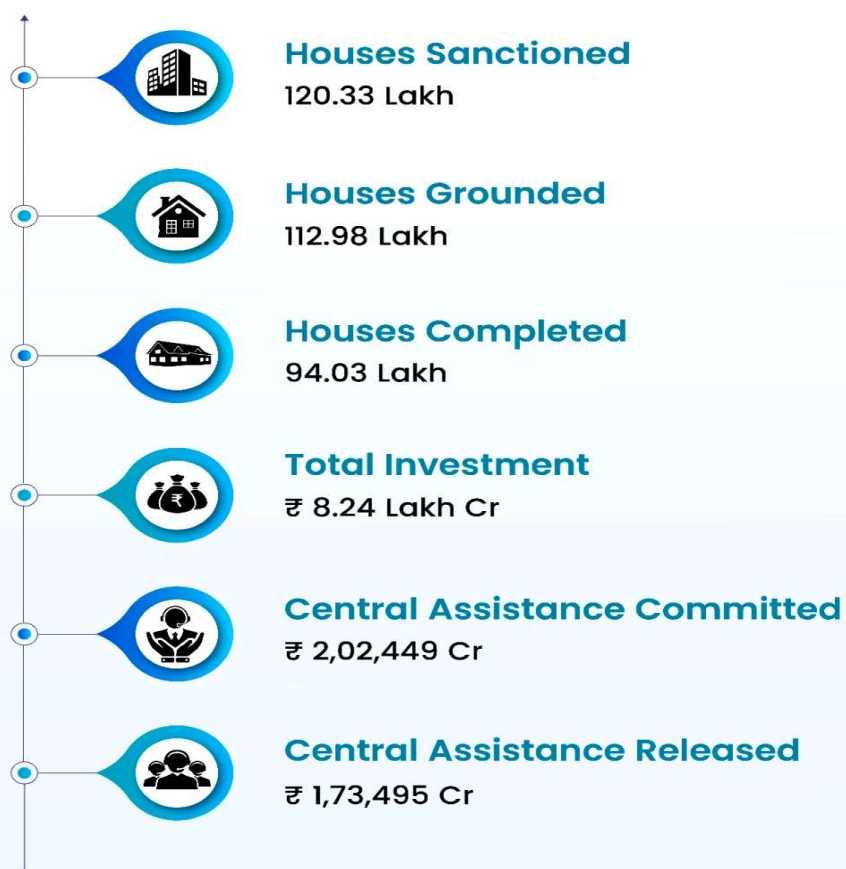
पीएम आवास मेला - शहरी, संभावित पीएमएवाई-यू 2.0 लाभार्थियों पर केंद्रित विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा, जिनमें शामिल हैं:

- पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और योजना लाभों पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हेल्प डेस्क और सूचना कियोस्क।
- मौके पर ही सत्यापन और पंजीकरण।
- पीएम सूर्य घर: मौजूदा पीएमएवाई-यू लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए मुफ्त बिजली योजना शिविर।
- पीएमएवाई-यू, पीएमएवाई-यू 2.0 और सौर ऊर्जा योजना के लाभार्थियों के लिए गृह ऋण तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करने वाले ऋण मेले।
- स्वास्थ्य शिविर और पीएम उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि और आयुष्मान भारत जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए शिविर, योजनाओं को एक साथ लाए जाने को बढ़ावा देना।
- पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत विशेष फोकस समूहों के लिए समर्पित शिविर।
- शिविर में बातचीत के आधार पर संभावित लाभार्थियों के लिए नामांकन अभियान।
- क्विज़, सेल्फी बूथ और स्थानीय कलाकारों व छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जैसी आकर्षक गतिविधियां।
- लाभार्थियों की सफलता की कहानियां साझा करके दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना।
- उत्कृष्ट लाभार्थियों, महिला उपलब्धि हासिल करने वालों और छात्र कलाकारों को सम्मानित करना।

- शहरी स्थानीय निकायों की उपलब्धियों को मान्यता देने वाले समारोह।
- कार्यक्रम की गतिविधियों को उजागर करने के लिए व्यापक मीडिया कवरेज।

आवास की पहुंच का विस्तार

PMAY-U Progress



(Based on data available up to as of 25th August, 2025)

Source: Ministry of Housing and Urban Affairs

शुरुआत से अब तक, पीएमएवाई ने 1.2 करोड़ से ज्यादा घरों को मंजूरी दी है, जिनमें से लगभग 94 लाख घर पहले ही सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई- शहरी 2.0 के साथ, सरकार ने एक करोड़ और शहरी परिवारों को सहायता देने का संकल्प लिया है।

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के पात्र परिवार अपना घर बनाने या खरीदने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन pmay-urban.gov.in पर ऑनलाइन या स्थानीय यूएलबी के माध्यम से किए जा सकते हैं।

अगस्त 2025 में चौथी केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.47 लाख अतिरिक्त पक्के घरों को मंजूरी दी गई - जिससे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल संख्या 8.56 लाख हो गई।

पीएमएवाई-यू 2.0 कैसे काम करता है

पीएमएवाई-यू 2.0 को चार चरणों में लागू किया जा रहा है - लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच), और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)। हाल ही में स्वीकृत अधिकांश घर बीएलसी और एएचपी घटकों के अंतर्गत आते हैं। इस निरंतर प्रयास के माध्यम से, सरकार समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा दे रही है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार के पास न केवल एक घर हो, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर भी हो।

PMAY-U 2.0 Verticals



Beneficiary Led Construction (BLC)

- EWS beneficiary to construct house on own land, with fund support from the gov.
- Provision of land patta/ rights to the landless by States/UTs.
- Geo-tag the construction stages of the house by beneficiaries.
- Release of instalment is linked to construction stage.
- Free of cost statutory approvals, if needed.
- Upgradation of Tenable Slums with housing and infrastructure.

Affordable Housing in Partnership (AHP)

- EWS beneficiary to purchase/avail allotted houses in Apartment projects by public/ private sector agencies/ parastatal agencies.
- Redeemable Housing Vouchers for purchase of houses in whitelisted private sector projects.
- Various State Incentives to public/ private projects In-Situ Slum.
- Redevelopment of tenable Slums or Slum Resettlement.

Affordable Rental Housing (ARH)

- **Model-1:** Utilizing existing Government funded vacant houses by converting them into ARH under PPP mode or by public agencies.
- **Model-2:** Construct, Operate and Maintain rental housing by Private/Public Entities for urban poor, working women, employees of Industries, Industrial Estates, Institutions and other eligible EWS/LIG families.

Interest Subsidy Scheme (ISS)

- Max. Loan value ₹25 lakh, Max. House Value ₹35 lakh.
- 5 Yearly instalments of Loan subsidy.
- Annual household income:
 - EWS - up to ₹3 lakh
 - LIG - up to ₹6 lakh
 - MIG - up to ₹9 lakh
- EWS/LIG/MIG- Loan Subsidy upto ₹1.80 lakh.

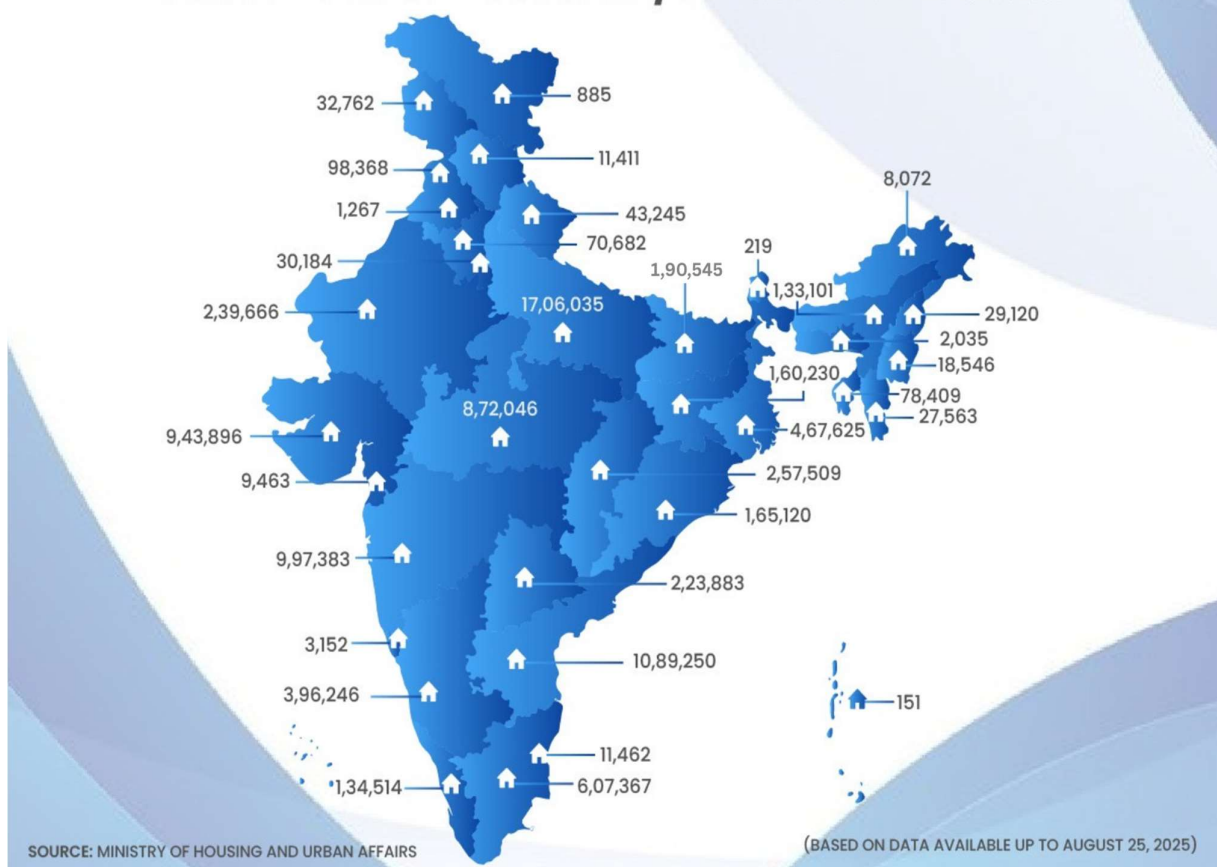
Source: Ministry of Housing and Urban Affairs

कौन पात्र है?

नीचे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार एक झलक दी गई है कि पीएमएवाई यू और पीएमएवाई 2.0 के तहत कितने पक्के घर पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो शहरी भारत में वास्तविक वितरण में पात्रता की दिशा में ठोस प्रगति को दर्शाता है।

- ऐसे परिवार (पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्रियां) जिनके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ($\leq$ ₹3 लाख), निम्न आय वर्ग (₹3-6 लाख), मध्य आय वर्ग (₹6-9 लाख) श्रेणियों से संबंधित।
- विधवाओं, एकल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मचारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, कारीगरों, आंगनवाड़ी और निर्माण श्रमिकों, और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सभी आवेदकों के लिए आधार/वर्चुअल आईडी अनिवार्य।
- पीएमएवाई-जी (ग्रामीण समकक्ष) के साथ लिंकेज के माध्यम से दोहराव से बचा जा सकेगा।

HOUSING FOR ALL: COMPLETED HOUSES UNDER PMAY-U & 2.0 – A STATE/UT-WISE OVERVIEW



Equality Begins at Home

पीएमएवाई-शहरी 2.0 के चल रहे कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना रहा है। अगस्त 2025 तक -

- लगभग 75,417 घर विशेष रूप से महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं भी शामिल हैं, जो महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,166 घरों को मंजूरी दी गई है, जो बुजुर्गों की आवास आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

हाशिए पर पड़े समूहों को समर्थन देने की इस प्रतिबद्धता के आधार पर, विभिन्न वंचित समुदायों के लिए निम्नलिखित संख्या में घर स्वीकृत किए गए हैं:

- अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 32,551,

- अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 5,025, और
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 58,375 - यह सुनिश्चित करना कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सामना किया है।

निष्कर्ष: सभी के लिए समय पर और लक्षित आवास की ओर

पीएमएवाई-शहरी 2.0, अंगीकार अभियान के साथ, समावेशी विकास के प्रति भारत सरकार की एक सशक्त प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। पीएमएवाई-शहरी 2.0 सम्मानजनक आवास की नींव रखता है, जबकि अंगीकार लाभार्थियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी आवश्यक सेवाओं से जोड़कर इसका पूरक है। साथ मिलकर, ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक घर स्थिरता, अवसर और सम्मान का स्रोत हो। समय पर कार्यान्वयन, समावेशिता को केंद्र में रखकर और एक अभिसरण-संचालित दृष्टिकोण के साथ, भारत सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। निर्मित प्रत्येक घर एक जीवन को सशक्त बनाता है, और इसमें शामिल प्रत्येक परिवार राष्ट्र को समानता, न्याय और सतत विकास पर आधारित भविष्य के करीब लाता है।

सबका सपना, घर हो अपना



संदर्भ:

Ministry of Housing and Urban Affairs:

- https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/About_details.aspx
- https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/Awaas_mela.aspx
- <https://pmay-urban.gov.in/>
- https://pmay-urban.gov.in/uploads/progress-pdfs/689079fd0aa59-State_wise_for_web.pdf
- <https://pmay-urban.gov.in/iec-materials/latest>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147921>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2156126>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2164173>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotId=152011>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotId=151895>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotId=151903>

पीके/केसी/एमपी